राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(507)विधि/परिपत्र/14/ दिनांकः

1. *अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर*

2. *समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राज0*

3. *समस्त पूर्ण/पदेन उप पंजीयक, राजस्थान*

विषयः निर्णित न्यायिक प्रकरणों में अपील/नो अपील के प्रस्ताव के क्रम में निर्णय/अतिरिक्त महाधिवक्ता/डिप्टी गवर्मेंट काउिन्सल की राय समयावधि में भिजवाने के संबंध में।

प्रमुख शासन सचिव, (वित्त) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा न्यायिक प्रकरणों में दिनांक 30.4.14 को जारी परिपत्र में विशेष रूप से माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर समयावधि में ही अपील/नो अपील की कार्यवाही आदि का प्रशासनिक निर्णय लिया जाकर प्रकरण के निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं।

विभाग के ध्यान में आया है कि न्यायिक प्रकरणों में माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं विभाग के विरूद्ध पारित निर्णय की प्रति एवं निर्णय पर अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता एवं डिप्टी गवर्नरमेंट काउन्सिल की राय नियुक्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा काफी विलम्ब से भिजवायी जाती है, जो कि कतई उचित नहीं है।

इस संबंध में शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके कक्ष में दिनांक 13.5.14 को सम्पन्न बैठक में विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्ययोजना अनुसार निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1. न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त समस्त प्रभारी अधिकारी स्वयं से संबंधित प्रकरणों की राजस्थान उच्च न्यायालय की वैबसाइट से एवं उच्चतम न्यायालय में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड से प्रतिदिन केस स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त करें एवं उक्त सूचना साप्ताहिक मुख्यालय को जरिये फैक्स/मेल प्रस्तुत करावें।

2. राजस्थान उच्च न्यायालय की वैबसाईट पर निर्णय की जानकारी प्रति सहित उपलब्ध होने पर निर्णय यदि विभाग के विरूद्ध हुआ है तो निर्णय की प्रति/अतिरिक्त महाधिवक्ता/डिप्टी गर्वमेंट काउन्सिल की राय के साथ निर्णय के विरूद्ध अपील/नो अपील की टिप्पणी सहित मुख्यालय को निर्णय से तीन दिवस में उपलब्ध करावें। तीन दिवस पश्चात् मुख्यालय को प्रेषित करने पर प्रतिदिन विलम्ब के कारणों का उल्लेख करके भिजवाये।

3. विभाग के पक्ष में निर्णय होने पर निर्णय की पालना में संबंधित पक्षकार से बकाया राजस्व वूसली शीघ्र की जावे एवं वसूली की सूचना मुख्यालय की विधि शाखा को प्रकरण के क्रम में भेजी जावे।

अतः उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे, अन्यथा विलम्ब की स्थिति में संबंधित दोषी पाये गये प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(507)विधि/परिपत्र/14/ 3494-3594 दिनांकः 23.5.14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर को बैठक दि0 13.5.14 में दिये गये निर्देशों की पालना में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त रजिस्ट्रार, (न्यायाधीशों का पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली। (पांच प्रतियों में)
6. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
10. लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
11. उप/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय-अजमेर।
12. उप निदेशक, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर।
14. श्री धीरज त्रिपाठी, डिप्टी गवर्मेंट काउंसिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
15. श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, डिप्टी गवर्मेंट काउंसिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
16. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
17. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक।
18. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

उप विधि परामर्शी
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर